न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2023 G.C.M.S. No. 2023/326 दर्ज दिनांक : 31.08.2023

अपीलार्थी:

1. पेमाराम पुत्र मदरूप, जाति मेघवाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम चंदलाई, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. भोलदास पुत्र केवलदास, जाति साद वैष्णव, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम चंदलाई, तहसील सोजत व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 बअनवान भोलदास बनाम पेमाराम में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवतीप्रसाद चौहान, अर्जुन चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 19.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 बअनवान भोलदास बनाम पेमाराम में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कृषि जोत की भूमि में आवागमन हेतु नया रास्ता किसी भी निकट रास्ते से मांग कर सकता है। इस प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट ने अपीलांट के खसरा संख्या 97/851 में से होकर खसरा संख्या 99 तक रास्ते की मांग की गई। जबकि रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि मुख्य रास्ता खसरा संख्या 124 तक पहुंच के लिये खसरा संख्या 98/1 की माठ के सहारे–सहारे नजदीक रहता है, लेकिन रेस्पोंडेन्ट को उक्त तथ्यों को पूर्णरूप से जानकारी होने के बावजूद तथ्यों को छुपाते हुये व अपीलांट को बिना सुनवाई का अधिकार दिये एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.12.2022 को पारित करवा दिया। साथ ही पटवारी हल्का द्वारा तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एकपक्षीय रिपोर्ट बनाकर पेश की गई जबकि धारा 251 (क) के प्रावधानो के अनुसार किसी भी निकट रास्ते से रेस्पोंडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

की कृषि जोत की भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की रिपोर्ट तैयार कर पेश करनी होती है। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा एकपक्षीय गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की गई। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंच के लिये पूर्व से खसरा संख्या 92 व 90/864 के सहारे-सहारे मुख्य सड़क खसरा संख्या 76 से आवागमन चालू हालत में हैं। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भी प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्पोंडेन्ट मात्र अपनी कृषि भूमि की बाजारू कीमत बढ़ाने के आशय से नया रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोंडेन्ट खसरा संख्या 92 व 90/864 की माठ के सहारे-सहारे रास्ता आज भी चालू हालत में हैं, जो मौके पर आज भी कायम है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट को नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं रहती हैं। न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी सम्मन कतई प्राप्त नहीं हुआ और न ही तामीलसुदा रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है। यहां तक कि रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस प्रेषित किया, लेकिन उक्त नोटिस भी अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ, न ही पर्याप्त तामील हुई, न ही पत्रावली पर तामीलसुदा प्राप्ति स्वीकृति मौजूद है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2022 को प्राप्त हुई तथा उसी दिन अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया तथा उसी दिन प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन की गई। इसके साथ ही अपीलांट को उक्त कृषि भूमि की डीएलसी राशि 16840/-रूपये न तो थामी और न ही जरिये डीडी द्वारा प्राप्त हुई। जबकि कानूनन उपरोक्त राशि अपीलांट को अदा नहीं कर दी जाती, तब तक राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का फेरबदल या रास्ता तरमीम नहीं किया जा सकता और न ही खाता संख्या 1 में उक्त भूमि दर्ज की जा सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी रेस्पोंडेन्ट से मिलीभगत कर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के बदनियतिपूर्ण आशय से डीएलसी राशि बिना अदा किये गैरमुमकिन रास्ते हेतु भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर राजस्व नक्शे में गैरमुमकिन रास्ता तरमीम कर दिया, जिसे करने का राजस्व अधिकारियों को कोई हक व अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट दिनांक 22.07.2023 को अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि पर आया तथा अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में खड़ी फसल में से रास्ता निकालने के लिये उतारू हुआ, जिस पर अपीलांट ने रेस्पोंडेन्ट से कहा कि उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता स्थित नहीं हैं। जिस पर रेस्पोंडेन्ट ने अपीलांट को ऐलानिया कहा कि मैनें न्यायालय से उक्त कृषि भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का आदेश पारित करवा लिया है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में से मेरी खातेदारी कृषि भूमि में जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

के लिये रास्ता निकाल कर रहूंगा, जिस पर अपीलांट ने उसी दिन 22.07.2023 को जमाबंदी की प्रमाणित व नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाईन प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा बाले–बाले राजस्व नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता तरमीम करवा दिया, तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व सम्पूर्ण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2023 को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 03.08.2023 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.12.2022 को पारित कर अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता घोषित किया गया, इससे पूर्व अपीलांट को उक्त आदेश के बाबत किसी प्रकार की जानकारी इत्यादि नहीं थीं। इसलिए उक्त अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट दिनांक 22.07.2023 को अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि पर आया तथा अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में खड़ी फसल में से रास्ता निकालने के लिये उतारू हुआ, जिस पर अपीलांट ने रेस्पोंडेन्ट से कहा कि उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता स्थित नहीं हैं। जिस पर रेस्पोंडेन्ट ने अपीलांट को ऐलानिया कहा कि मैनें न्यायालय से उक्त कृषि भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का आदेश पारित करवा लिया है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में से मेरी खातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता निकाल कर रहूंगा, जिस पर अपीलांट ने उसी दिन 22.07.2023 को जमाबंदी की प्रमाणित व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाईन प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा बाले–बाले राजस्व नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता तरमीम करवा दिया, तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व सम्पूर्ण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2023 को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 03.08.2023 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.12.2022 को पारित कर अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता घोषित किया गया, इससे पूर्व अपीलांट को उक्त आदेश के बाबत किसी प्रकार की जानकारी इत्यादि नहीं थीं। इसलिए उक्त अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

2. हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही उपरांत अपीलांट की गैर–मौजूदगी में पारित किया गया है। जिसकी आदेश दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 22.08.2022 को अपीलांट के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 12.12.2022 को तहसीलदार सोजत से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी रेस्पोंडेंट की आराजी ग्राम चंदलाई के खसरा संख्या 99 तक पहुंच के लिए अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 97/851 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट संबंधित भू.अ.नि. द्वारा तैयार की गई। लेकिन मौका निरीक्षण से पूर्व संबंधित भू.अ.नि. या तहसीलदार द्वारा प्रभावित पक्षकारान अपीलांट आदि को मौके पर उपस्थित रहने हेतु दिनांक व समय का निर्धारण नहीं किया गया एवं न ही इस संबंध में कोई नोटिस प्रेषित किया गया। जोकि मौका रिपोर्ट के नोटिस क्रमांक व दिनांक के सम्मुख रिक्त स्थान से इसकी पुष्टि होती हैं। इसके बावजूद भू.अ.नि. द्वारा अपीलांट अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार का अंकन किया गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धारा 251–क के प्रकरणों में मौका निरीक्षण से पूर्व संबंधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली